

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082021-229283 CG-DL-E-27082021-229283

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] No. 482] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2021/भाद्र 5, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2021/BHADRA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

सा.का.िन. 594(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 276(अ) तारीख 6 अप्रैल, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अविध के अवसान हो जाने से पहले आक्षेप और सझाव आमंत्रित किए गए थे:

राजपत्र में उक्त अधिसूचना की प्रतियां 6 अप्रैल, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त किए गए आक्षेप और सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1989 (1989 का 59) की धारा 64 के खंड (क), खंड (घ) और खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षित नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षित नाम केन्द्रीय मोटर यान (बीसवां संशोधन) नियम 2021 है।
 - (2) ये 15, सितंबर 2021 से प्रवृत्त होंगें।

4785 GI/2021 (1)

- 2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
 - "(गक) प्ररूप 60 में कार्यात्मक प्रमाण पत्र निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक के मामले में बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए लागू होगा ।
 - (गख) आधिकारिक पहचान-पत्र सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले आवेदक के मामले में बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए लागू होगा।"
- 3. उक्त नियम के नियम 48 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु बीएच-सीरीज के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के मामले में यान स्वामी के द्वारा स्वेच्छापूर्वक चुनाव किया जाएगा, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्ररूप 60 में कार्यात्मक प्रमाण-पत्र या आधिकारिक पहचान-पत्र जैसा भी मामला हो के सत्यापन के पश्चातु पोर्टल के माध्यम से यादुच्छिक रुप से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।"

- 4. उक्त नियम के नियम 50 में उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "(8) पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक रूप से जारी किया गया बीएच-सीरीज यान के लिए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह सफेद पृष्ठ भूमि पर काले रंग में होगा और निम्नलिखित रीति में प्रदर्शित होगा, अर्थात्:-

XX	XX	#### XX
रजिस्ट्रीकरण के वर्ष के अंतिम दो अंक	भारत सीरीज कोड (2) अक्षर	चार अंको 0001 से 9999 के पश्चात् अक्षर
	"BH" के रुप में	(अक्षरों) A, B, C, D और उसके बाद
		AA, AB,AZ, BA, BBसे ZZ तक
		से 'l' & 'O' वर्जित होगें

उक्त नियम में नियम 51क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"51ख. मोटर यान कर के सिद्धांत. – (1) पूर्ण रुप से बने हुए गैर यातायात यान के मामले में मोटर यान कर माल और सेवा कर (जीएसटी) को अपवर्जित करके बीजक मूल्य के आधार पर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से प्रकल्पित किया जाएगा।

(2) मोटर यान कर बीएच-सीरीज गैर यातायात यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के समय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उद्गहीत किया जाएगा जो निम्नलिखित प्रकार से होगा, अर्थात् :-

क्रम सं.	बीजक मूल्य	मोटर यान कर (बीजक	टिप्पनियां
		मूल्य का %)	
1.	10 लाख से कम	8%	
2	10-20 लाख 10%	10%	2% अतिरिक्त भार डीजल वाहनों के लिए उद्ग्रहीत किया
3.	20 लाख से अधिक	12%	जा सकेगा । इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम कर भार हो सकेगा ।

(3) उस मामले में जहां यान बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखता है तो मोटर यान कर निम्नलिखित रीति से दो वर्ष या दो से गुणज जैसा भी मामला हो, के लिए पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से उद्ग्रहीत किया जाएगा, अर्थात्:-

बीएच-सीरीज रजिस्ट्रिकरण के		बीजक मूल्य के अनुसार मोटर यान कर * 1.25*2
अधीन यान के लिए दो वर्ष हेतु	=	15
मोटर यान कर		(अगले पूर्णांक के लिए पूर्ण)

टिप्पण : मोटर यान कर के संदाय की नियत तारीख से सात दिनों के पश्चात् सड़क कर के संदाय में देरी के मामले में एक सौ रु. प्रति दिन की अतिरिक्त फीस उद्ग्रहीत की जाएगी । परन्तु पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चौदहवे वर्ष पर और पश्चात् मोटर यान कर (अगले पूर्णांक के लिए पूर्ण) वार्षिक रूप से उद्गृहीत किया जाएगा जो उपनियम (3) में यथा उल्लिखित कर का आधा होगा ।

- 6. उक्त नियम के नियम 54 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "(3) यह नियम बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखने वाले यान पर लागू नहीं होंगें ।

परन्तु बीएच-सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखने वाले यान का स्वामी तीस दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से उस मामले में जब यान उस राज्य के अलावा जहां यान पहले रजिस्ट्रीकृत था, में है प्ररूप 33 में अपने निवास स्थान के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा,"।

7. उक्त नियम में प्ररूप 59क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 60

[नियम 47(1) (गक) देखिए]

कार्यात्मक प्रमाण-पत्र

सेवा में	
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,	
आवेदक का	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	न्त हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर धिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
तारीख :" ।	

[फा. सं. आरटी-11036/48/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) तारीख, 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 575(अ), तारीख 11. 08. 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2021

G.S.R. 594(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 276 (E), dated the 06th April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said notification published in the Gazette were made available to the public on the 06th April, 2021;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a), clause (d) and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twentieth Amendment) Rules, 2021.
 - 2. They shall come into force with effect from the 15th day of September, 2021.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—
 - "(ca) working certificate in Form 60, in case the applicant working in private sector applies for BH-Series registration mark;
 - (cb) Official Identity Card, in case the applicant working in Government office applies for BH-series registration mark;".
- 3. In the said rules, in rule 48, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that, in case of application for registration of vehicle under BH series, opted voluntarily by the vehicle owner, the registration mark shall be generated randomly through the portal after verification of working certificate in Form 60 or Official identity card, as the case may be, by the registering authority."

- 4. In the said rules, in rule 50, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(8) The registration mark for BH-series vehicle generated randomly through the portal shall be in black on white background and shall be exhibited in the following manner, namely:—

		#### XX
Last two digits of the Bharat Series year of registration as "BH"	code (4 numerals 0001 to 9999 followed by letter(s) A, B, Cand then AA,ABAZ, BA, BBto ZZ excluding 'I' & 'O' ".

- 5. In the said rules, after rule 51A, the following rule shall be inserted, namely:—
 - "51 B. Principle for motor vehicle tax.—(1) In case of fully built non-transport vehicles, the motor vehicle tax shall be calculated electronically through the portal on the basis of invoice price excluding Goods and Services Tax (GST).
- (2) The Motor Vehicle Tax levied by the States or Union Territories at the time of registration in respect of BH Series non-transport vehicles shall be the following, namely:—

Sr. No.	Invoice Price	Motor vehicle Tax (% of Invoice Price)	Remarks
1.	Below Rs 10 lakh	8%	2% extra charge shall be levied for diesel vehicles. Electric vehicles shall be
2.	Rs 10-20 lakh	10%	vehicles. Electric vehicles shall be charged 2% less tax.
3.	Above Rs 20 lakh	12%	

(3) In case, where the vehicle bears BH-Series registration mark, the motor vehicle tax shall be levied electronically through the portal for two years, or in multiples of two, as the case may be, in the following manner, namely:—

Motor Vehicle tax for two	=	Motor Vehicle tax as per Invoice Price * 1.25 *2
years for the vehicle under BH-series registration		15 (Rounded to next integer)

Note:—After seven days from the due date of payment of motor vehicle tax, an additional fee of one hundred rupees per day shall be levied in case of delay in payment of road tax.

Provided that on and after fourteenth year from the date of first registration, the motor vehicle tax (Rounded to next integer) shall be levied annually which will be half of the tax as mentioned in sub-rule (3)."

- 6. In the said rules, in rule 54, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(3) This rule, shall not apply to a vehicle having BH- Series registration mark.

Provided that the owner of the vehicle bearing BH Series registration mark shall intimate the registering authority of his place of residence in Form 33, within thirty days, electronically through the portal, in case the vehicle is being kept in the State other than where the vehicle was earlier registered,".

7. In the said rules, after Form 59A, the following Form shall be inserted, namely:—

To

"Form 60

[See rule 47(1) (ca)]

Working Certificate

The Registering	Authority,		
D/o	declare tha	at	
		Signature or thumb impression of the Appl	lican
		Signature of the Authorised Signatory of the Organis	
Date		Name of the Authorised Sign official seal".	atory

[F. No. RT-11036/48/2019 -MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 575(E), dated 11.08.2021.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241119 CG-DL-E-15122022-241119

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 785]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944

No. 785] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 879(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 762(अ), तारीख 04 अक्टूबर, 2022 द्वारा तारीख 04 अक्टूबर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियमों में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अविध के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 06 अक्टूबर, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है :

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (क), खंड (घ) और खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तेईसवाँ संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में तारीख उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

8358 GI/2022 (1)

- 2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 47 के उपनियम (1) की मद (गख) में "अधिकारिक पहचान पत्र" शब्दों के पश्चात् "या सेवा प्रमाणपत्र" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।
- (3) उक्त नियम के 48 के उपनियम (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु ऐसे बी एच श्रृखंला के अन्तर्गत यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, जिसका यान के स्वामी द्वारा स्वेच्छा से विकल्प लिया गया है, ऐसे राज्य के किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान के स्वामी का या तो स्थायी निवास है या कार्य का स्थान है और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति, प्ररूप 60 में कार्यकरण प्रमाणपत्र या शासकीय पहचान पत्र/सेवा प्रमाणपत्र के सत्यापन के पश्चात् पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक रूप से सृजित किया जाएगा।"।

- 4. उक्त नियम के नियम 51ख में,--
- (क) उपनियम (3), के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:--

"परन्तु यह और कि बी एच श्रृखंला में किसी रजिस्ट्रीकृत यान को किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में अन्तरित किया जाता है, जो नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (गक) या खंड (खग) के अनुसार बी एच श्रृखंला के लिए पात्र नहीं है तब ऐसा यान संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान नियमित रजिस्ट्रीकरण श्रृखंला से नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन के लिए दायी होगा और ऐसा यान संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कराधान नियमों के अनुसार मोटर यान कर के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि यदि बी एच श्रृखंला में रजिस्ट्रीकृत कोई यान किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में अंतरित किया जाता है जो बी एच श्रृखंला के लिए पात्र है, तब ऐसा यान जब तक अन्तरिती बी एच श्रृखंला के लिए पात्र रहता है, तब तक बी एच श्रृखंला के अधीन विधिमान्य रूप से रजिस्ट्रीकृत बना रहेगा:

परन्तु यह भी कि बी एच श्रृखंला में रजिस्ट्रीकृत यान का स्वामी किसी समय नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (गक) या खंड (गख) के अनुसार, बी एच श्रृखंला के लिए पात्र नहीं रह जाता है तब ऐसा यान ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए कर का संदाय कर दिया है, के लिए बी एच श्रृखंला के अधीन रजिस्ट्रीकृत बना रहेगा।"।

- (ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- "(4) यदि किसी समय, किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की नियमित श्रृखंला में रजिस्ट्रीकृत किसी यान का स्वामी नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (गक) या खंड (गख) के अनुसार बी एच श्रृखंला के लिए पात्र हो जाता है, तब ऐसे यान का स्वामी, ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसमें ऐसा यान वर्तमान में रजिस्ट्रीकृत किया गया है या रखा गया है, के किसी ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को बी एच श्रृखंला में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन के लिए प्ररूप 27क में आवेदन करेगा।
- (5) बी एच श्रृखंला में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन पर, उपनियम (4) में निर्दिष्ट यान का स्वामी उपनियम (3) के अनुसार का संदाय करने का दायी होगी।"।
- 5. उक्त नियम में, प्ररूप 27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्रारूप 27 क"

[नियम 51बी (4) देखें]

बीएच-श्रृंखला में नए पंजीकरण चिह्न के समनुदेशन के लिए आवेदन

सवा म,									
रजिस्टर	कर्ता प्राधिकारी,								
 ∄/≂	ш			का	प्रव/की	पनी/की	मनी :	<u>ज</u> ोटर	गान
			चैसिस संख्या						
मोटर	संख्या]	यान का	प्रकार	का/के	- रजिस्ट्रीकृ	त स्वार्म	ो होने	के	नाते
		एतद्वारा घोष	णा करता/करती हूँ कि	मैं अपने वाहन	ा का बीएच	श्रृंखला में रा	जेस्ट्रीकरण	कराने वे	5 लिए
पात्र हूं।									
मैं एतद्व	ारा घोषणा करता	हूं कि रजिस्ट्रीकरण	दिनांक	तक	विधिमान्य	है और यह इ	इस अधिनिः	यम के उ	पबंधो
के अधीन	न निलंबित या रह	नहीं किया गया है।							

मैं इस म	गोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं/करते हैं।
मैं प्रपत्र	60 या शासकीय पहचान पत्र में अपना कार्य प्रमाण पत्र/सेवा प्रमाणपत्र संलग्न करता हूं ।
यान अव	वक्रय करार/पट्टा करार /उपप्राधीयन के समझौते के अध्याधीन नहीं है ।
वितपोष	
मेरा मो	बाइल नंबर और ईमेल (यदि है)
तारीख	
	आवेदक के हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर
6. उक्त	नियमों में, प्रपत्र 60 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
	"प्रारूप 60"
	[नियम 47(1) (गक) देखें]
	कार्य प्रमाणपत्र
सेवा में,	
रजिस्टर	कर्ता प्राधिकारी,
7	हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि श्रीपुत्र/पुत्रीपुत्र/पुत्री स्थाई पता
1.	संगठन का नाम-
2.	संगठन की पंजीकरण संख्या-
3.	जीएसटी पंजीकरण संख्या-
4.	पैन संख्या-
5.	रजिस्ट्रीकृत/कारपोरेट कार्यालय का पता-
6.	ईमेल पता -
कर्मचार्र	ो का विवरण इस प्रकार है-
1.	कर्मचारी का रोजगार पहचान पत्र -
2.	कर्मचारी का यूएएन (अद्वितीय खाता संख्या)-
3.	कर्मचारी का मोबाइल नंबर-
4.	कर्मचारी का ईमेल पता -
5.	कर्मचारी का पैन संख्या-

आवेदक के हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

[फा. सं. आरटी-11036/48/2019-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 .06.1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 863(अ), तारीख 01.12.2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2022

G.S.R. 879(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 762 (E), dated the 4th October, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 4th October, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 6th October, 2022;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a), (d) and (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- 1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twenty-third Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), in item (cb), after the words "Official Identity Card", the words "or Service Certificate" shall be inserted.
- 3. In rule 48 of the said rules, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -
- "Provided that application for registration of vehicle under BH series, opted voluntarily by the vehicle owner, shall be made to any registering authority of the state, in which the vehicle owner has either permanent residence or place of work and the registration mark shall be generated randomly through the portal after verification of working certificate in Form 60 or Official identity card / Service Certificate, as the case may be, by the registering authority."
- 4. In rule 51B of the said rules, -
- (a) in sub-rule (3), after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

"Provided further that if a vehicle registered in BH-series, is transferred in the name of such person who is not eligible for BH-series, as per clause (ca) or (cb) of sub-rule (1) of rule 47, then, such vehicle shall be liable for assignment of new registration mark from regular registration series prevailing in the concerned State or Union Territory and such vehicle shall also be liable for motor vehicle tax as per the taxation rules of concerned State or Union Territory:

Provided also that if a vehicle registered in BH-series, is transferred in the name of such person who is eligible for BH-series, then such vehicle shall continue to be validly registered under BH-series so long as transferee remains eligible for BH-series:

Provided also that if at any time owner of the vehicle registered in BH-series, ceases to be eligible for BH-series, as per clauses (ca) or (cb) of sub-rule (1) of rule 47, then such vehicle shall continue to be registered under BH-series for the remaining period for which tax has been paid."

- (b) after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
- "(4) if at any time, owner of a vehicle registered in regular series of any State or Union Territory becomes eligible for BH-series as per clause (ca) or (cb) of sub-rule (1) of rule 47 and owner of such vehicle opts for registration mark in BH-series for such vehicle, then owner of such vehicle shall apply in Form 27A for assignment of registration mark in BH-series to any registering authority of the State or Union Territory in which such vehicle is currently registered or placed.
- (5) On assignment of registration mark in BH-series, the owner of the vehicle referred to in sub-rule (4) shall be liable to pay tax as per sub-rule (3).".
- 5. In the said rules, after Form 27, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM 27A

[See rule 51B (4)]

Application for assignment of new registration mark in BH-Series

То
The Registering Authority,
I/Weson/wife/daughter of
being the Registered Owner of Motor Vehicle No bearing Chassis No
[Engine number or motor number in the case of Battery Operated Vehicles] Type of vehicle
I hereby declare that the registration is valid up
I enclose the certificate of registration of this motor vehicle.
I enclose my working certificate in Form 60 or official identity card / Service Certificate.
*The vehicle is not subject to an agreement of hire-purchase/lease/hypothecation.
The vehicle is subject to an agreement of hire-purchase/lease/hypothecation with
and the NOC has been granted/refused by the Financier thereunder. If "No Objection Certificate" has been refused by the Financier, the applicant should file along with this application a declaration as required under sub-section (8) of section 51.
My mobile number is and email (if any) is
Date
Signature/ e-signature of the Applicant"
6. In the said rules, for Form 60, following Form shall be substituted, namely:-
"Form 60
[See rule 47(1) (ca)]
Working Certificate
То
The Registering Authority,

We hereby declare that Shri	S/o/ D/o	permanent address
is working i	n our company/organization since	It is further to
certify that we have offices in four Stat	tes/UTs or more. Details of our organisation is as	follows-

- 1. Name of organisation -
- 2. Registration number of organization -
- 3. GST registration number (optional) -
- 4. PAN -
- 5. Address of registered/corporate office -
- 6. E- mail address –

Details of employee is as follows-

- 1. Employment id of employee-
- 2. UAN (Unique Account Number) of employee-
- 3. Mobile number of employee-
- 4. E- mail address of employee –
- 5. PAN of employee-

Signature /e-signature of the Applicant

Signature of the Authorised Signatory of the Organisation

Name of the Authorised Signatory
Address of the Authorised Signatory
Mobile number of the Authorised Signatory
E-mail address of the Authorised Signatory

Date	 official 	seal".

[F. No. RT-11036/48/2019-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 863(E), dated the 1st December 2022.